# न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
## बईजलास श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

**पंचायत निगरानी सं. 49 / 2021**

**प्रार्थी**

1. श्री प्रकाश कुमार पुत्र श्री मोडीराम जाति रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

1. ग्राम पंचायत अजारी जरिए सरपंच ग्राम पंचायत अजारी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
2. श्री राजेश पुत्र श्री मोडीराम जाति रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
3. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री मोडीराम जाति रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
4. श्री थानाराम पुत्र श्री मोडीराम जाति रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।
5. श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्री राजेश कुमार जाति रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

न्यायालय जिला कलक्टर सिरोही

**पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994**

**उपस्थितिः–**

1. श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री भैरूपालसिंह बालावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो से चार की ओर से।
3. श्री मदनसिंह राव, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या पांच की ओर से।

## निर्णय

**दिनांकः 16.12.2025**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, अजारी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीराम पुत्र श्री जैसाजी रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 वर्गफीट 2500 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या दो से चार की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत ने जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जबाव प्रस्तुत किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्री राजेश कुमार जाति रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही की ओर

......पेज नं. 02

जिला कलेक्टर, सिरोही

प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया, जिस पर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा श्रीमती प्रेमलता पत्नि श्री राजेश कुमार जाति रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या पांच के रूप में पक्षकार बनाने के आदेश दिए गए। तदनुसार प्रार्थी ने संशोधित अनवान पेश किया, जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण मे दोनो पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह आढ़ा द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान उनकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त पटटा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 को राजस्थान पंचायती राज नियम 1961 के नियम 266 के अंतर्गत कुल 25X100 = कुल 2500 वर्गफीट का अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल, निवासी एसाउ के हक में जारी करने में भारी अनियमितता बरती है, जिससे उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि श्री मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल के पिता श्री जैसाराम पुत्र गलबाजी रावल, निवासी एसाउ को तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा राजस्थान राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या एफ/3(19)/रेव/बी/ग्रुप 2/63 दिनांक 24.04.1963 के अनुसरण में 100X90 फीट अर्थात् 9000 वर्गफीट का क्रम संख्या 14 दिनांक 14.03.1967 को जारी किया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जारी योजना का एक बार फायदा श्री जैसाराम पुत्र गलबाजी को दे दिया गया था तथा इसी मकान में मोडीराम पुत्र जैसारामजी व अप्रार्थी संख्या दो से चार निवास करते आ रहे थे। यह कि इसी भूखण्ड से लगती खालसा भूमि आई हुई थी, जो कि खसरा संख्या 180 का भाग थी। उक्त भूमि नियमानुसार ग्राम पंचायत को आबादी विस्तार हेतु नहीं दी गयी थी। इसके उपरांत भी ग्राम पंचायत ने जैसाराम पुत्र गलबाजी रावल के उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के दक्षिण दिशा की ओर से पडत जमीन 100 गुना 25 अर्थात् 2500 वर्गफुट भूमि का पट्टा जैसाराम पुत्र गलबाजी के पुत्र मोडीराम पुत्र श्री जैसारामजी रावल को जारी करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है, जिससे उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टा संख्या 44 जारी करने से पूर्व नियमानुसार मिसल का संधारण नहीं किया और न ही किसी प्रकार की आपत्ति नोटिस आदि जारी किये गये एवं पंचायत राज अधिनियम के नियम की किसी भी प्रकार से पालना नहीं कर उक्त पट्टा जारी करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टे पर मिसल संख्या 11 तारीख दायरा 20.11.1979 का उल्लेख किया है एवं इस संबंध में पट्टा संख्या 44 मोडीराम पुत्र जैसारामजी के हक में जारी करने का उल्लेख किया है एवं सरपंच के हस्ताक्षर के नीचे दिनांक 16.02.1980 लिखी गयी है एवं उसके उपर पट्टा जारी करके समय मेरे हस्ताक्षर व मुहर के आज तारीख 17.02.1980 को जारी करने का उल्लेख किया है। इसी प्रकार से पट्टा संख्या 40 भी इसी तारीख को मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल के हक में जारी करने का उल्लेख किया है जिसकी मिसल संख्या 12 व तारीख दायरा 20.11.1979 का उल्लेख किया है। इस प्रकार इन दोनो दस्तावेज से भी यह पूर्णतया प्रमाणित है कि अप्रार्थी संख्या एक व स्वर्गीय मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल ने आपस में सांठगांठ कर बेशकिमती भूमि को कोडियों में बेचने का बताकर उक्त कुटरचित पट्टे जारी किये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि एक ही व्यक्ति के पक्ष में एक ही दिन में कानून के परे जाकर उक्त पट्टे जारी करने में अनियमितता बरती है। इन सभी तथ्यों से यह प्रमाणित है कि पूर्व में जैसाराम पुत्र गलबाजी रावल के पक्ष में 9000 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया था, उसी के इर्दगिर्द लगती बेशकीमती भूमि कूटरचित दस्तावेज पट्टे श्री मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल के हक में जारी किये है, जो पट्टे निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल का स्वर्गवास हो चुका है एवं उनके कायम मुकाम व वारिसान अप्रार्थी संख्या दो से चार है, जिन्हे पक्षकार बनाकर उनके विरूद्ध यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि अप्रार्थी संख्या एक उक्त कूटरचित पट्टो की आड में गाँव के खेल मैदान की तरफ जाने वाले आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है जिसका की उसे कानूनन कोई हक व

......पेज नं. 03

जिला कलेक्टर, सिरोही

अधिकार नहीं है। उक्त कूटरचित पट्टों की आड में यह आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण कर रहा है। आम रास्ते की भूमि पर पट्टा देने का कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसके उपरांत भी उक्त पट्टा गलत रूप से जारी किया गया है। आम रास्ते पर अतिक्रमण करने की कोशिश करने पर प्रार्थी की ओर से अप्रार्थी संख्या दो से चार को उलाहना दिया गया, जिस पर उन्होने इस भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने की जानकारी दी. जिस पर प्रार्थी की ओर से पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायत अजारी में नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, लेकिन लम्बे समय तक कोई पट्टे की नकल व मिसल की नकल प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई तब प्रार्थी ने जिला कलेक्टर सिरोही को इस संबंध में शिकायत की तब जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को नकल उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये। उसके पश्चात् ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अजारी द्वारा दिनांक 20.07.2021 को उक्त पट्टा संख्या 40 की अग्रभाग की प्रमाणित प्रतिलिपि व पट्टा संख्या 44 के पृष्टभाग की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की एवं कार्यालय ग्राम पंचायत अजारी द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति पिण्डवाडा को प्रेषित पत्र कमांक/प/2021/07 दिनांक 29.04.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि भी उपलब्ध करवाई एवं इस पत्र के मार्फत सूचित किया कि इस पट्टे से संबंधित मिसल की पत्रावली पंचायत रेकर्ड में उपलब्ध नहीं है एवं पंचायत द्वारा मोडीरामजी को कोई भी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है। इस प्रकार यह पूर्णतया प्रमाणित है कि इस पट्टे के संबंध में कोई मिसल संधारित नहीं की गयी है एवं उक्त पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत ने अनियमितता बरती है जिससे उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार के सदस्य को राज्य सरकार द्वारा जारी योजना का लाभ एक बार ही दिया जा सकता है। इसके उपरांत भी जैसाराम के हक में पूर्व में पट्टा जारी होने की जानकारी होने के उपरांत भी उनके पुत्र मोडीराम के हक में पट्टा संख्या 40 व 44 जारी करने में ग्राम पंचायत ने भारी अनियमितता बरती है तथा रास्ते की भूमि में कानूनन पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। उक्त पट्टा संख्या 40 व 44 शुरुआत से ही शून्य तथा बातिल दस्तावेज है। ऐसे दस्तावेज से अप्रार्थी संख्या दो से चार को कानूनन कोई हक अधिकार पैदा नहीं होते है। इसके उपरांत भी इन अवैध पट्टो की आड में आम रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है, जिससे की गाँव का रास्ता व बच्चों के खेल मैदान में जाने का रास्ता अवरूद्ध हो जायेगा एवं उन्हें काफी तकलीफ होगी एवं वे खेल मैदान के उपयोग उपभोग से वंचित हो जायेगे। इस प्रकार उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या दो से चार के हक में ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार की निर्माण स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। उसके उपरांत भी मौके पर निर्माण के लिए निर्माण सामग्री डाली है जिससे उक्त पट्टे को निरस्त करवाने के लिए उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा हुआ है। यह कि निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में कानूनन कोई अवधि निर्धारित नही है लेकिन अप्रार्थी संख्या दो से चार ने अभी कुछ माह पूर्व खेल मैदान में जाने वाले रास्ते में अतिक्रमण कर निर्माण सामग्री डालने लगे तब प्रार्थी को इस संबंध में जानकारी हुई, जिस पर प्रार्थी ने नियमानुसार जानकारी होते ही फरवरी 2021 में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टे की प्रतिलिपि जारी करने की मांग की लेकिन उसे अप्रार्थी संख्या एक द्वारा नकल जारी नहीं की गयी एवं अन्त में जिला कलेक्टर सिरोही को नकलें जारी करने के लिए आवेदन किया, जिस पर जिला कलेक्टर सिरोही द्वारा पंचायत समिति पिण्डवाडा को निर्देशित किया गया एवं दिनांक 20.07.2021 को प्रार्थी को उक्त पट्टे की आधी अधुरी नकल जारी की, जिसका अवलोकन करने पर उक्त कुटरचित पट्टे जारी करने की सर्वप्रथम जानकारी हुई। चूंकि एक कूटरचित दस्तावेज जो कि कानून की नजर में शून्य है, उसे कभी भी निरस्त करवाया जा सकता है लेकिन फिर भी बिना किसी देरी के उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र श्रीमान् के न्यायालय में प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार फरवाया जाकर अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल के पक्ष में जारी उक्त पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 को खारिज करवाना फरमावे।

जिला कलेक्टर, सिरोही

......पेज नं. 04

अप्रार्थी संख्या दो से चार की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री भैरूपालसिंह बालावत द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल को नियम 266 के तहत भूमि की कीमत रूपये 250/- जरिए रसीद संख्या 88 दिनांक 12.02.1980 को लेकर पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जैसाराम गलबाजी के नाम विधिवत रूप से जारी किया हुआ है। यह कि उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूमि आबादी विस्तार हेतु ही थी एवं हकीकतन अप्रार्थी के पिता की पुश्तैनी कब्जे की खाँचा भूमि होने से अप्रार्थी के पूर्वजों को पुराना कब्जा व मालिकाना हक होने एव पुराने पुश्तैनी से रहवासी मकान का नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पूर्ण प्रकिया अपना कर अप्रार्थी के पक्ष में पटटा जारी किया गया है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा झूठे तथ्यो का समावेश कर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिजे काबिल है। यह कि अप्रार्थी के आवासीय पटटेशुदा मकान पूर्व से ही बने हुए है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में काल्पनिक एवं झूठे तथ्यों को समावेश कर ऐनकेन प्रकारेण अप्रार्थी से व्यक्तिगत एवं राजनैतिक द्वेष भावना रखते हुऐ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारीजे काबिल है। यह कि अप्रार्थी को उक्त आवासीय पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीरामजी का पुराना पुश्तैनी मकान होने एवं उसमें निवासरत होने से नियमानुसार एव आवंटन प्रावधान मे ग्राम पचायत द्वारा पट्टा जारी किया है। यह कि उक्त सम्पत्ति श्री मोडीराम जी ने अपने जीवन काल में अप्रार्थी सख्या दो को जरिये रजिस्टर्ड वसीसत करने से उक्त सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी अप्रार्थी सख्या दो होने से अप्रार्थी सख्या दो ने अप्रार्थी सख्या पांच को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीश करने से एक मात्र स्वामी अप्रार्थी संख्या पांच है एवं बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज निरस्त करवाये उक्त निगराणी पोषणिय नहीं होने से खारीजे काबिल है। यह कि गांव के खेल मैदान पर जाने हेतु रास्ता विद्यमान है। अप्रार्थी के आवासीय मकान के पास या प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर नहीं रहा है एवं न ही उक्त जगह पर कभी खेल मैदान का रास्ता था। प्रार्थी आपसी रंजिश एवं अपना निजी फायदा उठाने की गरज से गलत तथ्यों का वर्णन कर उक्त निगरानी जो सारहीन है, प्रस्तुत की है एवं अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीराम को उनके पुराने कब्जे एवं पुश्तैनी मकान का नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। श्री मोडीराम जी द्वारा किसी भी रास्ते की भूमि पर कोई पट्टा जारी नहीं करवाया गया है। यह कि राज्य सरकार द्वारा पुराने कब्जे एवं आवासीय मकान के पटटे जारी करने का प्रावधान है एवं राज्य सरकार के प्रावधानो अनुसार ही उक्त पटटा जारी किया गया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया अपना कर ही उक्त पटटा जारी किया गया है। यह कि निगरानीकार को पूर्व से ही अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता के नाम पटटा जारी होने की जानकारी रही है व पुराने आवासीस मकान बने हुए है, जिसमें अप्रार्थी कदीम से उक्त मकानो मे निवासरत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज करना फरमावें।

अप्रार्थी संख्या पांच की ओर से उनके लायक अधिवक्ता श्री मदनसिंह राव द्वारा दौराने बहस मेरा ध्यान इस निगरानी मे प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर श्री मोडीराम पुत्र जैसारामजी रावल को पट्टा जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है। इस संबंध मे उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा जैसाराम गलबाजी के नाम विधिवत रूप से जारी किया हुआ है। यह कि उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूमि आबादी विस्तार हेतु ही थी एवं हकीकतन अप्रार्थी के पिता की पुश्तैनी कब्जे की खाँचा भूमि होने से अप्रार्थी के पूर्वजों को पुराना कब्जा व मालिकाना हक होने एव पुराने पुश्तैनी से रहवासी मकान का नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पूर्ण प्रकिया अपना कर अप्रार्थी के पक्ष में पटटा जारी किया गया है। प्रार्थी निगरानीकार द्वारा

जिला कलेक्टर, सिरोही

......पेज नं. 05

झूठे तथ्यों का समावेश कर उक्त निगरानी प्रस्तुत की है, जो खारिजे काबिल है। यह कि अप्रार्थी के आवासीय पटटेशुदा मकान पूर्व से ही बने हुए है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में काल्पनिक एवं झूठे तथ्यों को समावेश कर ऐनकेन प्रकारेण अप्रार्थी से व्यक्तिगत एवं राजनैतिक द्वेष भावना रखते हुऐ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारीजे काबिल है। यह कि अप्रार्थी को उक्त आवासीय पटट्ा ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है एवं अप्रार्थी संख्या पांच के ससुर श्री मोडीरामजी का पुराना पुश्तैनी मकान होने एवं उसमें निवासरत होने से नियमानुसार एव आवंटन प्रावधान मे ग्राम पचायत द्वारा पट्टा जारी किया है। यह कि गांव के खेल मैदान पर जाने हेतु रास्ता विद्यमान है। अप्रार्थी के आवासीय मकान के पास या प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार किसी प्रकार का कोई रास्ता मौके पर नहीं रहा है एवं न ही उक्त जगह पर कभी खेल मैदान का रास्ता था। प्रार्थी आपसी रंजिश एवं अपना निजी फायदा उठाने की गरज से गलत तथ्यों का वर्णन कर उक्त निगरानी जो सारहीन है, प्रस्तुत की है एवं अप्रार्थी संख्या पांच के ससुर श्री मोडीराम को उनके पुराने कब्जे एवं पुश्तैनी मकान का नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। श्री मोडीराम जी द्वारा किसी भी रास्ते की भूमि पर कोई पट्टा जारी नहीं करवाया गया है। यह कि राज्य सरकार द्वारा पुराने कब्जे एवं आवासीय मकान के पटटे जारी करने का प्रावधान है एवं राज्य सरकार के प्रावधानो अनुसार ही उक्त पटटा जारी किया गया है एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार पूर्ण प्रक्रिया अपना कर ही उक्त पटटा जारी किया गया है। यह कि निगरानीकार को पूर्व से ही अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता के नाम पटटा जारी होने की जानकारी रही है व पुराने आवासीस मकान बने हुए है, जिसमें अप्रार्थी कदीम से उक्त मकानो मे निवासरत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज करना फरमावें।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या दो से पांच की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभॉति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जहॉ तक अप्रार्थी संख्या दो से पांच के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नही है। किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चिय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वंय का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीराम पुत्र श्री जेसारामजी रावल को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, अजारी द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के तहत रूपये 250/- जरिए रसीद संख्या 88 दिनांक 12.02.1980 के द्वारा शुल्क लेकर जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा।

जहां तक अप्रार्थीगण के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है इस संबंध मे विधिक दृष्टान्त सएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है।

......पेज नं. 06

जिला कलेक्टर, सिरोही

राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1953 की धारा 27(क) सपठित राजस्थान पंचायत एवं साधारण नियम 1961 के नियम 272 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र म्याद बाहर प्रस्तुत किये जाने का कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी विधिक दृष्टान्तों मे पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने मे प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण मे भी समयावधि के बारे मे उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्यतः तर्क है कि सरपंच ग्राम पंचायत अजारी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीराम पुत्र श्री जैसारामजी रावल को खालसा बिलानाम भूमि के एक ही दिन में दो पट्टे जारी किए गए है, जिसका ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूमि आबादी विस्तार हेतु ही थी एवं अप्रार्थी के पिता की पुश्तैनी कब्जे की खाँचा भूमि होने से अप्रार्थी के पूर्वजों को पुराना कब्जा व मालिकाना हक होने एव पुराने पुश्तैनी रहवासी मकान का नियमानुसार पटटा जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा श्री मोडीराम के पिता श्री जैसारामजी रावल पुत्र श्री गलबाजी निवासी एसाउ के हक में 9000 वर्गफीट क्षेत्रफल की सनद दिनांक 14.03.1967 को जारी की गई है, जिसकी चतुर्दशी में उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व दिशा में खालसा बिलानाम भूमि अंकित है एवं पूर्व दिशा में आम रास्ता अंकित किया गया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत अजारी द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से चार के पिता श्री मोडीरामजी के हक में जारी उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 में अंकित चतुर्दशी में उत्तर दिशा में रावल जैसाराम गलबाजी का मकान होना दर्शाया गया है। अतः इससे यह स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत अजारी द्वारा श्री मोडीरामजी के हक में जारी उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 से सम्बन्धित भूखण्ड, पूर्व में दिनांक 14.03.1967 को तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा श्री मोडीराम के पिता श्री जैसारामजी रावल पुत्र श्री गलबाजी के हक में को जारी सनद से सम्बन्धित भूखण्ड के दक्षिण दिशा में स्थित है। चूंकि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा श्री मोडीराम के पिता श्री जैसारामजी रावल पुत्र श्री गलबाजी के हक में दिनांक 14.03.1967 को जारी सनद में अंकित चतुर्दशी के दक्षिण दिशा में खालसा बिलानाम भूमि स्थित थी। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि सरपंच ग्राम पंचायत अजारी द्वारा श्री मोडीराम पुत्र श्री जैसारामजी रावल निवासी एसाउ के हक में जारी उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 खालसा बिलानाम भूमि का जारी किया गया है, जबकि ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टा जारी करने का अधिकार है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा इस सम्बन्ध में कथन किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि आबादी विस्तार हेतु ही थी, परन्तु अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को आवंटित की गई थी। अतः पत्रावली पर उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के सम्बन्ध में आबादी विस्तार हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यह प्रतीत होता है कि उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 44 से सम्बन्धित भूखण्ड की भूमि खालसा बिलानाम भूमि थी, जिसका पट्टा जारी करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा यह कथन भी किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 44 से सम्बन्धित भूखण्ड अप्रार्थीगण का पुश्तैनी भूखण्ड है, जिस पर उनका वर्षों पुराना कब्जा चला आ रहा है। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा यह कथन तो किया गया है कि उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 से सम्बन्धित भूखण्ड अप्रार्थीगण का पुश्तैनी भूखण्ड है, जिस पर उनका वर्षों पुराना कब्जा चला आ रहा है,

......पेज नं. 07

जिला कलेक्टर, सिरोही

परन्तु उनके द्वारा अपने इस कथन के समर्थन में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित हो कि उक्त वादग्रस्त पट्टेशुदा भूखण्ड अप्रार्थीगण का पुश्तैनी भूखण्ड था। अतः अप्रार्थीगण अधिवक्ता यह साबित करने में असफल रहे है कि उक्त उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 से सम्बन्धित भूखण्ड अप्रार्थीगण का मालिकी स्वामित्व का पुश्तैनी भूखण्ड था, जिस पर अप्रार्थीगण का वर्षों पुराना कब्जा चला आ रहा हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 266 के अनुसार पंचायत आबादी भूमि में भूखण्ड आवंटन हेतु व्यक्तियों का आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष अथवा अधिक परन्तु 40 वर्षो से कम का है वहां विद्यमान बाजार कीमत का 1/3 भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का है वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जायेगा, परन्तु इस प्रकरण मे अप्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित भूखण्ड पर पुराना कब्जा होना प्रस्तुत रेकर्ड से साबित नही होता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत अजारी द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/प0/2021/107 दिनांक 29.04.2021 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि श्री मोडीराम पुत्र श्री जैसारामजी गलबा के हक में जारी उक्त वादग्रस्त पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 से सम्बन्धित रेकर्ड, मिसल पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है एवं न ही ग्राम पंचायत अजारी द्वारा श्री मोडीरामजी को कभी कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह पाया जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत अजारी द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टा खालसा बिलानाम भूमि का जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नहीं है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत अजारी द्वारा अप्रार्थीगण के पूर्व रसाधिकारी श्री मोडीराम पुत्र श्री जैसारामजी रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी उक्त विवादित पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 वर्गफीट 2500 को यह न्यायालय न्यायसंगत नहीं मानता है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर सरपंच ग्राम पंचायत अजारी द्वारा श्री मोडीराम पुत्र श्री जैसारामजी रावल निवासी एसाउ तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के हक में जारी पट्टा संख्या 44 दिनांक 17.02.1980 वर्गफीट 2500 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही